संख्या–545 /9–9–14–23ज/97टीसी

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2–समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
3–समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 30 मई, 2014

विषयः प्रदेश की स्थानीय नागर निकायों द्वारा लगाई जा रही लाइसेसिंग शुल्क की दरों में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–2399/नौ–9–94–204जनरल/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994, संख्या–1847/नौ–9–97–23ज/97 दिनांक 09 जून, 1997 तथा संख्या–161सीएम/नौ–9–97–23ज/97 दिनांक 16.12.1997 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा लगायी जा रही लाइसेन्स शुल्क की दरों में वृद्वि के उद्देश्य से उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 16.12.1997 द्वारा स्थानीय निकायों में कुल 39 मदों पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित किया गया है, जिसमें प्रदेश में स्थापित नर्सिंग होम पर भी लाइसेन्स शुल्क की दर निर्धारित की गयी है, जिसके संबंध में इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा नर्सिंग होम व अस्पतालों पर लाइसेन्स शुल्क लगाये जाने की व्यवस्था समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 16.12.1997 द्वारा नर्सिंग होम पर लगाये गये लाइसेन्स शुल्क की वसूली अग्रतर आदेश तक स्थगित रखने के निर्देश शासनादेश संख्या–213एम./नौ–9–2001–23ज/97–टीसी–2 दिनांक 24.12.2001 द्वारा निर्गत किये गये।

3. उल्लेखनीय है कि लाइसेन्स शुल्क निर्धारण के विरूद्व इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट याचिका संख्या–18373/2000,दायर की गयी थी, जो मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2006 द्वारा अपास्त कर दी गयी है। चूंकि निजी नर्सिंग होम स्थानीय नागर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जा रही नगरीय व अवस्थापना सुविधाओं का उपयोग व उपभोग करते है तथा जन सामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा–कर उनके द्वारा आय अर्जित की जाती है। इस प्रकार नर्सिंग होम आय अर्जित की जानी वाली

go-y

व्यवसायिक संस्थाओं की श्रेणी में आते है। अतः नर्सिंग होम से लाइसेंस शुल्क वसूल किये जाने का पूर्ण औचित्य है।

4. अतएव प्रकरण में वर्णित समस्त तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–213एम./नौ–9–2001–23ज/97–टीसी–2 दिनांक 24.12.2001 द्वारा नर्सिंग होम पर लगाये गये लाइसेन्स शुल्क की वसूली स्थगित किये जाने सम्बन्धी आदेश को, तात्कालिक प्रभाव से एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा शासनादेश संख्या–161/एम/नौ–9–97–23ज/97 दिनांक 16.12.1997 द्वारा नर्सिंग होम पर निर्धारित लाइसेन्स शुल्क वसूली की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से पुनः लागू किया जाता है। कृपया तदनुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराते हुये उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

30/5/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
3. गार्ड फाइल/वेबमास्टर, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

go-y